2018/00183

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

रेवड़ बनाम राधेश्याम

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	19/18 आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
		17/11 पत्रावली पेश ... वकुलाय द्वारा कन्सोलेन्स/ कार्य स्थ... के कारण कार्य... नहीं की जा स... पेशी दिनांक 5.7.22 को पेश हो।	
	5/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. प्र. पत्र 17 पर वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9.9.22 को पेश हो।	
	9/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की पूर्व में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी थी। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 17 पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात् वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 51 रकबे 02 बिस्वा स्थित ग्राम चक आजूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा सीमाओं में कोई फेरबदल नहीं करें। पत्रावली के फल प्रकार होकर वाद वकील नम्बर से बन्द कर नामकरण मूल वाद के साथ हो चुकी तो हो।	

Scanned with OKEN Scanner